न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 27/2016 **दायर दिनांकः– 09–02–2016**

1–बेगाराम पुत्र श्री कोडाराम जाति जाट साकिन लालगढिया तहसील सूरतगढ (फौत)

1/1– धनराज
1/2– कृष्णलाल
1/3– हेमराज
1/4– टिकूराम
1/5–गणेशाराम

} पिसरान श्री बेगाराम अकवाम जाट साकिनान 4 एल जी एम लालगढिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— वादीगण

बनाम

1– किशनलाल पुत्र श्री गोरधन जाति कुम्हार साकिन लाधुवाला तहसील श्री गंगानगर
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ
3–रामेश्वरी पुत्री श्री बेगाराम जाति जाट साकिन 4 एल जी एम लालगढिया तहसील सूरतगढ
4–तेजाराम पुत्र श्री बेगाराम (फौत)

4/1– सरोज देवी पत्नी
4/2– पवनकुमार पुत्र
4/3– देवीलाल पुत्र
4/4– कौशल्या पुत्री

} श्री तेजाराम अकवाम जाट साकिनान 4 एल जी एम लालगढिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1–श्री राजवीर भादू अभिभाषक वादी
2– श्री भगवानदत्त शर्मा व श्री रामकुमार वर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1
3– पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– **दिनांक :– 09/02/2024**

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादीगण , प्रतिवादी सं0 1 एवं पैरोकार राज उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के सक्षैप तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं वादी के भाईयो गणपतराम – हनुमान पिसरान श्री कोडाराम के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 8 एम सी एवं 2 एल जी एम में 65–14बीघा खातेदारी रकबा था जिसका खाता विभाजन वादी न0 1 एवं वादी न0 1 के भाईयो द्वारा करवा लिया जिसके मुताबिक वादी न0 1 को खाता विभाजन में वाके चक 8 एम सी के पं0 नं0 18/13 किला नं0 16–17–24/3–00बीघा , पं0 नं0 18/21 के किला नं0 19 ता 22, 24/5–00बीघा पं0 नं0 18/22 के किला नं0 2 ता 4, 8–9–12–13/7–00बीघा कुल 15–00बीघा तथा चक 2 एल जी एम के पं0 नं0 239/19 के किला नं0 1– 9 ता 12, 19–20/ 7–00बीघा व पं0 नं0 239/11 के किला नं0 5 में 0.07 बीघा कुल तादादी 22–07 बीघा खातेदार विभाजन से प्राप्त हुई । वादी के नाम वाके चक 2 एल जी एम के खाता सं0 46/40 के पं0 नं0 239/11 मु0 नं0 123 के किला नं0 5/2 में 0.089 हे0 कमाण्ड व पं0 नं0 239/19 मु0 नं0 124 के किला नं0 1–9 ता 11, 19–20/1. 518 हे0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड कुल तादादी 1.607 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है । प्रतिवादी नं0 1 के नाम से वाके चक 2 एल जी एम तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 239/19 मु0 नं0 124 के किला नं0 2 ता 8, 12 ता 18, 21 ता 25/4.807हे0 अनकमाण्ड खातेदारी भुमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । वादी के नाम खातेदारी रकबा पुस्तैनी रकबा होने के कारण कब्जा काश्त 50 वर्षो से लगातार चला आ रहा है उक्त जैरवाद रकबा वाके चक 2 एल जी एम के पं0 नं0 239/19 के किला नं0 12 में 0.253 हे0 वादी के पुस्तैनी खातेदार रकबा है जिस पर वादी द्वारा आर्थिक खर्च कर काबिल काश्त बनाया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

गया है । वादी के नाम चक 8 एम सी के पं0 नं0 18/13 के किला नं0 16–17–25, पं0 नं0 18/21 के किला नं0 19 ता 22, 24 , पं0 नं0 18/22 किला नं0 2 ता 4, 8–9– 12–13 कुल 15–00बीघा खातेदार तथा चक 2 एल जी एम के पं0 नं0 239/19 के किला नं0 1, 9 ता 12, 19–20 व पं0 नं0 239/11 किला नं0 5 कुल 7–07बीघा कुल तादादी 22–07बीघा खातेदार भुमि पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है । इसके बावजुद वादी का पुस्तैनी खातेदार करबा में से जैरवाद रकबा पं0 नं0 239/19 के किला नं0 12 प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज है जबकि वादी का खातेदार एवं कब्जा काश्त आज तक बदस्तुर चला आ रहा है इसलिए वादी खातेदार रकबा की घोषणा करवाने का मुश्तहक है। इसलिए वादी ने जैरवाद भूमि चक 2 एल जी एम तहसील सूरतगढ के पं0 नं0 239/19 के किला नं0 12 प्रतिवादी नं0 1 के नाम से कलमजन कर वादी नं0 1/1 ता 1/5 एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 को खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण एवं रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। जरिये पेरोकार राज उपस्थित हुये। प्रतिवादी सं0 1 की तरफ से अभिभाषक भगवानदत्त शर्मा एवं रामकुमार वर्मा उपस्थित । प्रतिवादी सं0 1 ने वाद–पत्र का जबाब प्रस्तुत किया । इसके पश्चात वादी न0 1 के देहान्त होने के पश्चात उनके जायज वारिसान को वादीगण 1/1 ता 1/5 एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 तथा प्रतिवादी सं0 4 के देहान्त होने के कारण उनके वारिसान प्रतिवादी सं0 4/1 एव 4/4 को पक्षकार वाद बनाया गया एवं वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 के अभिभाषक की बहस सुनी गई। दावे एवं जबाब दावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम कि गई :–

1– आया कि चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला न0 12 पर वादी का कानूनी तौर पर काश्तकारी अधिकार रहा है ? ––वादी

2– आया कि पूर्व का चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला न0 12 कब्जा काश्त में होने के कारण उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने का पात्र है ? –– वादी

3– आया कि प्रतिवादी न0 1 का चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला न0 12 का कभी भी अंकित व धारण अधिकार सहित काश्तकार नही रहा व इस आधार पर यह भूमि उसके नाम कलमजन कर वादी को खातेदारी दिये जाने योग्य है ? –– वादी

4– आया कि चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला न0 12 प्रतिवादी न0 1 के नाम अंकित व कब्जा काश्त में होने से वाद वादी निरस्ती योग्य है? –– प्रतिवादी

5– अन्य अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये । साक्ष्य वादी 1/1 के द्वारा शपथ–पत्र तथा पड़ोसी कास्तकार के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये । जिसकी प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई । प्रतिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य नही करवाये गये ।

इसके पश्चात वादीगण , प्रतिवादीगण के अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने वाद–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एवं वादी के भाईयो गणपतराम – हनुमान पिसरान श्री कोडाराम के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 8 एम सी एवं 2 एल जी एम में 65–14बीघा खातेदारी रकबा था जिसका खाता विभाजन वादी न0 1 एवं वादी न0 1 के भाईयो द्वारा करवा लिया जिसके मुताबिक वादी न0 1 को खाता विभाजन में वाके चक 8 एम सी के पं0 नं0 18/13 किला नं0 16–17–24/3–00बीघा , पं0 नं0 18/21 के किला नं0 19 ता 22, 24/5–00बीघा पं0 नं0 18/22 के किला नं0 2 ता 4, 8–9–12–13/7–00बीघा कुल 15–00बीघा तथा चक 2 एल जी एम के पं0 नं0 239/19 के किला नं0 1– 9 ता 12, 19–20/ 7–00बीघा व पं0 नं0 239/11 के किला नं0 5 में 0.07 बीघा कुल तादादी 22–07 बीघा खातेदार विभाजन से प्राप्त हुई । वादी के नाम वाके चक 2 एल जी एम के खाता सं0 46/40 के पं0 नं0 239/11 मु0 नं0 123 के किला नं0 5/2 में 0.089 हे0 कमाण्ड व पं0 नं0 239/19 मु0 नं0 124 के किला नं0 1–9 ता 11, 19–20/1. 518 हे0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड कुल तादादी 1.607 हे0 कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा प्रतिवादी न0 1 के नाम से वाके चक 2 एल जी एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 239/19 मु0 न0 124 के किला न0 2 ता 8, 12 ता 18, 21 ता 25/4.807हे0 अनकमाण्ड खातेदारी भुमि राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

रेकार्ड दर्ज है। वादी के नाम खातेदारी रकबा पुस्तैनी रकबा होने के कारण कब्जा काश्त 50 वर्षो से लगातार चला आ रहा है उक्त जैरवाद रकबा वाके चक 2 एल जी एम के पं0 नं0 239/19 के किला नं0 12 में 0.253 हे0 वादी के पुस्तैनी खातेदार रकबा है जिस पर वादी द्वारा आर्थिक खर्च कर काबिल काश्त बनाया गया है । वादी के नाम चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला न0 1, 9 ता 12, 19–20 व प0 न0 239/11 किला नं0 5 कुल 7–07बीघा खातेदार भुमि पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है । इसके बावजुद वादी का पुस्तैनी खातेदार करबा में से जैरवाद रकबा चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला न0 12 प्रतिवादी न0 1 के नाम दर्ज है जबकि वादी का खातेदार एवं कब्जा काश्त आज तक बदस्तुर चला आ रहा है इसलिए वादी खातेदार रकबा की घोषणा करवाने का मुश्तहक है। तथा प्रतिवादी नं0 1 ने उक्त वाद–पत्र का जबाब भी स्वयं प्रस्तुत न कर अभिभाषक के हस्ताक्षर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें इबारत तस्दीक न होने के कारण वह पठन योग्य नही है । इसलिए वादी ने जैरवाद भूमि चक 2 एल जी एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 239/19 के किला न0 12 प्रतिवादी न0 1 के नाम से कलमजन कर वादी न0 1/1 ता 1/5 एवं प्रतिवादी सं0 3 व 4 को खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

प्रतिवादी सं0 1 के अभिभाषक ने जबाब दावा तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि चक 2 एल जीएम के प0न0 239/19 के किला न0 12 मुझे आवटित भूमि है । उक्त भूमि पर मेरा कब्जा कास्त चला आ रहा है । तथा वादी के द्वारा मेरे आवटन के विरूद्ध कोई भी अपील प्रस्तुत नही की गई । वादी दावे के माध्यम से अनुतोष पाने का कतई कानूनी अधिकारी नही है ।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया । दस्तावैजो व साक्ष्यो पर गौर किया गया विस्तुत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :–

तनकी न0 1– आया कि चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला न0 12 पर वादी का कानूनी तौर पर काश्तकारी अधिकार रहा है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी के द्वारा सत्यप्रतिलिपी मिसल सं0 36/79 निर्णय दिनांक 08–09–1982 श्रीमान ए सी सी सूरतगढ के द्वारा वादी एवं वादी के भाईयो के मध्य 53 एव 88 आर टी ए के तहत 8 एम सी एव 2 एल जी एम की 65–14बीघा भूमि का विभाजन किया गया जिसमें जैरवाद रकबा चक 2 एल जी एम के प0न0 239/19 के किला नं0 12 वादी के पिता गणपतराम पुत्र श्री कोडाराम के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज थी । इसके पश्चात उक्त भूमि का वादी एवं वादी के भाईयो के द्वारा बंटवारा कर उक्त जैरवाद रकबा वादी नं0 1 के पक्ष में विभाजन के पश्चात राजस्व रिकार्ड में खातेदार भूमि दर्ज हुई । इसलिए उक्त जैरवाद रकबा का वादी नं0 1 खातेदार कृषक होने के कारण कानूनी अधिकारी है । तनकी न0 1 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 2– आया कि पूर्व का चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला न0 12 कब्जा काश्त में होने के कारण उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने का पात्र है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी ने तनकी न0 1 में अपने साक्ष्य व दस्तावैजी साक्ष्यो के द्वारा खातेदार कृषक सिद्ध किये है । तथा उक्त जैरवाद रकबा के कब्जा कास्त हेतू वादी नं0 1/1 द्वारा अपना स्वयं का शपथ–पत्र तथा पड़ौसी कास्तकार का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य तथा शपथ–पत्र प्रस्तुत नही कर उक्त तथ्यों का खण्डन नही किया गया । उक्त रकबा वादी के नाम खातेदार कृषक होने के कारण बन्दौबस्त विभाग को जमाबन्दी इन्द्राज में परिवर्तन करने का कतई अधिकार नही था । जब उक्त रकबा वादी को खातेदार कृषक राजस्व रिकार्ड दर्ज था तो पुनः उक्त रकबा किसी अन्य व्यक्ति को आवटन नही किया जा सकता और न ही कानूनी अधिकार प्राप्त होते है । वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टात से प्रतिपादित है कि 2003 RBJ 290 – Setllement department connot change the old entery in revenue record from khud kasht to siwaicjak and gocher land without the order of the competerd court .

2003 RBJ 118- Setllement Authorities have no power to deleta the original entries and make new entries. 2007 RRT 24 – 2006 RBJ 205- 2007 RRT 27 – 1993 RRT 45 –

तनकी न0 2 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी न0 3– आया कि प्रतिवादी न0 1 का चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला न0 12 का कभी भी अंकित व धारण अधिकार सहित काश्तकार नही रहा व इस आधार पर यह भूमि उसके नाम कलमजन कर वादी को खातेदारी दिये जाने योग्य है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था तनकी नं0 1 व 2 के द्वारा उक्त जैरवाद रकबा चक 2 एल जी एम के प0न0 239/19 के किला नं0 12 के खातेदार कृषक होने का दस्तावैज प्रमाण प्रस्तुत किये है तथा उक्त रकबा पर कब्जा कास्त होना भी सिद्ध किया है । प्रतिवादी न0 1 के द्वारा अपने आवटन के पक्ष में किसी प्रकार के कोई दस्तावैज साक्ष्य प्रस्तुत किये और न ही कोई गवाह प्रस्तुत किये इसलिए प्रतिवादी नं0 1 जैरवाद रकबा का किसी प्रकार का कोई भी कानूनी अधिकार नही रखता । तनकी न0 3 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी नं0 4– आया कि चक 2 एल जी एम के प0 न0 239/19 के किला नं0 12 प्रतिवादी न0 1 के नाम अंकित व कब्जा काश्त में होने से वाद वादी निरस्ती योग्य है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी न0 1 पर था । प्रतिवादी के द्वारा उक्त जैरवाद प्रकरण में जबाब दावा, साक्ष्य तथा स्वयं के शपथ–पत्र प्रस्तुत नही किये गये । वादी के द्वारा उक्त जैरवाद रकबा के खातेदारी अधिकार के प्रमाणित दस्तावैज प्रस्तुत किये है तथा कब्जा कास्त सिद्ध किया है । इसलिए प्रतिवादी उक्त जैरवाद रकबा का कतई कानूनी अधिकारी नही है । तनकी न0 3 विरूद्ध प्रतिवादी न0 1 निर्णित की जाती है ।

इस प्रकार तनकीयात नं0 1 ता 3 बहक वादी एवं तनकी न0 4 विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1 निर्णित की चुकी है । वादी उक्त जैरवाद रकबा चक 2 एल जी एम के प0न0 239/19 के किला न0 12 का खातेदार कृषक घोषित तथा कब्जा कास्त होने के कारण कानूनी अधिकार रखता है । इसलिए उक्त वाद–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर **प्रतिवादी न0 1 के नाम वाके चक 2 एल जी एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 239/19 किला न0 12/0.253 है0 अ0क0 भूमि कलमजन कर वादी न0 1/1 ता 1/5 एवं प्रतिवादी सं0 3 को 6/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी नं0 4/1 ता 4/ 4 को 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।** पर्चा डिकी जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना –2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2024 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एंस.

अनवान :

1–बेगाराम पुत्र श्री कोडाराम जाति जाट साकिन लालगढिया तहसील सूरतगढ (फौत)

1/1– धनराज
1/2– कृष्णलाल
1/3– हेमराज
1/4– टिकूराम
1/5–गणेशाराम

पिसरान श्री बेगाराम अकवाम जाट साकिनान 4 एल जी एम लालगढिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— वादी

बनाम

1– किशनलाल पुत्र श्री गोरधन जाति कुम्हार साकिन लाधुवाला तहसील श्री गंगानगर

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

3–रामेश्वरी पुत्री श्री बेगाराम जाति जाट साकिन 4 एल जी एम लालगढिया तहसील सूरतगढ

4–तेजाराम पुत्र श्री बेगाराम (फौत)

4/1– सरोज देवी पत्नी
4/2– पवनकुमार पुत्र
4/3– देवीलाल पुत्र
4/4– कौशल्या पुत्री

श्री तेजाराम अकवाम जाट साकिनान 4 एल जी एम लालगढिया तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 27 वर्ष 2016 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री राजवीर भादू, प्रतिवादी नं0 1 भगवानदत्तर शर्मा व रामकुमार वर्मा एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है । वाद वादी निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

प्रतिवादी न0 1 किशनलाल पुत्र श्री गोरधन के नाम वाके चक 2 एल जी एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 239/19 किला न0 12/0.253 है0 अ0क0 भूमि कलमजन कर वादी न0 1/1 ता 1/5 एवं प्रतिवादी सं0 3 को 6/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी नं0 4/1 ता 4/ 4 को 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोज .....×.....मुबलिग .....×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×.....फसदो की पालना.....×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे । बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29/02/2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)